



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 अक्टूबर, 2006

कार्तिक 08, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 362/सात-वि०-1-01(क) 12/2006

लखनऊ, 30 अक्टूबर, 2006

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 पर दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2006

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2006

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

आचार्य कुन्दकुन्द एजुकेशनल सोसायटी, अलीगढ़ द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2006 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

परिभाषाएँ

2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

- (क) "विद्यापरिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद से है;
- (ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या अन्य बोर्ड से है;
- (ग) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है;
- (घ) "कोर्ट" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कोर्ट से है;
- (ङ) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, विद्यालय, पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;
- (च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी है;
- (छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और उसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक या कर्मचारिवृन्द का कोई सदस्य भी है;
- (ज) "कार्यपरिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद से है;
- (झ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;
- (ञ) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्वानों/छात्रों के निवास से है;
- (ट) "संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी शैक्षणिक संस्था से है;
- (ठ) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;
- (ड) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;
- (ढ) "सोसाइटी" का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत आचार्य कुन्दकुन्द एजुकेशनल सोसायटी से है;
- (ण) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है;
- (त) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;
- (थ) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों और ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय में शिक्षा अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाय और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदामिहित किया जाय;
- (द) "कोषाध्यक्ष", "कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियंत्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;
- (ध) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन सोसायटी द्वारा स्थापित मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से है;
- (न) "कुलाध्यक्ष" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है।

विश्वविद्यालय की
स्थापना

3-(1) अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में सोसायटी द्वारा मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

4-प्रायोजक संस्था, सोसायटी इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा :-

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये शर्तें

(क) विश्वविद्यालय के लिये चिन्हित न्यूनतम 50 एकड़ या समीपस्थ भूमि को इसके स्वामित्व अधिकारी सहित तीस वर्ष या अधिक तक के लिये विधिवत् रखेगा।

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगा जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये होगा ;

(ग) खण्ड (ख) में उल्लिखित भवन में न्यूनतम 5 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरण कार्यालय और प्रयोगशालाओं में स्थापित करेगा;

(घ) विभागों/विद्यालयों के शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षकों को नियुक्त करना और अवस्थापना स्थापित करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश बनाना;

(च) ऐसी अन्य शर्तें जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।

5-(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिये प्राधिकार के पत्र के पश्चात् ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

(2) राज्य सरकार, सोसायटी द्वारा इस आशय के अभिलेख सहित धारा 4 में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी कर दी गयी हैं, एक असंदिग्ध शपथ-पत्र प्राप्त होने पर, प्राधिकार का पत्र जारी करेगी।

6-विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होना और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित सुविधायें प्रदान करने का भरसक प्रयास करेगा :-

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

(क) शिक्षा में नवीनता की प्रोन्नति करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना अध्यापन और ज्ञानोपापार्जन की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति करना;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन की प्रोन्नति करना;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव और नैतिकता की प्रोन्नति करना।

7-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

विश्वविद्यालय की शक्तियां

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिये तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना; या

(ख) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, प्रबन्ध और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की और संस्कृति, दर्शन और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम आदि की भी शिक्षा प्रदान करना और उनकी प्रोन्नति करना;

(ग) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(घ) परिनियमों द्वारा विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;

(ङ) ऐसे व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं शिक्षण जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे पाठ्यक्रम भी हैं जिसे विश्वविद्यालय अवधारित करें, प्रदान करना;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डाक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिये नियुक्तियां करना;

(छ) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(ज) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, की स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ञ) अनुसंधान और शिक्षा के लिये विद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हो;

(ट) अधिष्ठात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ठ) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये छात्रावासों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना;

(ड) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ढ) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति, किसी संस्था, विभाग या विद्यालय को केन्द्र घोषित करना;

(ण) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है;

(त) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(थ) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिये व्यवस्था करना;

(द) छात्राओं के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(घ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिये व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिये सदान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का जिसके अन्तर्गत न्यास और बन्दोबस्ती सम्पत्तियां भी हैं, अर्जन, धारण और निपटारा करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये सोसाइटी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति, उसके धन पर उधार लेना, बन्धक रखना या आडमान करना;

(ब) ऐसे समस्त अन्य कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हों।

8-(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे। प्रवेश और मानक

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक-छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

9-विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग और प्रत्येक वंश, मत, जाति, वर्ग के व्यक्तियों के लिये होगा और विश्वविद्यालय के लिये यह विधिस्मृत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिये किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारिवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिये या वहां से स्नातक करने के लिये हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे :

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिये होगा

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पर आरक्षण, तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार की विधियों एवं आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

10-(1) कुलाध्यक्ष की नियुक्ति सोसाइटी द्वारा स्वयं की जायेगी।

कुलाध्यक्ष

(2) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की शिक्षा, अनुशासन, शालीनता और समुचित कार्यप्रणाली के मानकों को सुनिश्चित करने के लिये विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किन्हीं संस्थाओं, महाविद्यालयों, विद्यालयों, पोलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(3) कुलाध्यक्ष को कुलपति द्वारा उसे निर्दिष्ट मामलों के विवाद में कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

11-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

विश्वविद्यालय के अधिकारी

(क) कुलाधिपति

(ख) कुलपति

(ग) प्रति-कुलपति

(घ) संस्थाओं के निदेशक/प्रधान

(ङ) कुलसचिव

(च) कोषाध्यक्ष

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष

(झ) कुलानुशासक

(ञ) वित्त अधिकारी; और

(ट) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

12-(1) कुलाधिपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा सोसाइटी के परामर्श से की जायेगी।

(2) कुलाधिपति राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) कुलाधिपति, राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

(4) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुलाधिपति अपने पद ग्रहण के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेगा, परन्तु कुलाधिपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले।

(5) कुलाधिपति अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अन्तरिम कार्य परिषद का गठन करेगा।

(6) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, तो डिग्रियां प्रदत्त करने के लिये आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा।

कुलपति

13-(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा पांच वर्ष के लिये ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित की जाय।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी और विश्वविद्यालय के कार्य परिषद और विद्या परिषद का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस अधिकारी को अवगत करायेगा :

परन्तु यदि सम्बन्धित प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह ऐसे दिनांक से, जिस पर ऐसे कार्यवाही के आधार पर विनिश्चय उसे संसूचित किया जाय, एक माह के भीतर कुलाधिपति को ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध अपील करे और इस पर कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14-(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जो विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेंगे।

(4) प्रतिकुलपति ऐसी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जो सोसाइटी द्वारा अवधारित की जाय।

कुलसचिव

15-कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2)-कुलसचिव को यह शक्ति होगी की वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3)-कुलसचिव कार्य परिषद और विद्या परिषद का पदेन सचिव होगा।

16-(1) कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए। कोषाध्यक्ष

(2) कोषाध्यक्ष वार्षिक बजट, वार्षिक सम्परीक्षा, निधियों आदि के आवंटन सहित समस्त वित्तीय मामलों में कुलपति की सहायता करेगा।

17-प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय। संकायों के संकायाध्यक्ष

18-(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय। वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

19-विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाए। अन्य अधिकारी

20-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(क) कोर्ट;

(ख) कार्य परिषद;

(ग) विद्या परिषद;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) नियोजन बोर्ड;

(च) संकाय बोर्ड;

(छ) प्रवेश समिति;

(ज) परीक्षा समिति;

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालयों के प्राधिकारी घोषित किये जायें।

21-(1) कोर्ट के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसा विहित किया जाय। कोर्ट

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोर्ट की निम्नलिखित शक्तियों और कृत्य होंगे, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपाय का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर विचार करना और संकल्प पारित करना और ऐसे लेखाओं पर सम्परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना;

(ग) किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में कुलाध्यक्ष को परामर्श देना जो उसे परामर्श के लिये निर्दिष्ट किया जाय; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो विहित किये जायें

22-(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा;

कार्यपरिषद

(2) कार्य परिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किये जाए।

विद्या परिषद	<p>23—(1) विद्या परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।</p> <p>(2) विद्या परिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।</p>
वित्त समिति	<p>24—(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।</p> <p>(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।</p>
नियोजन बोर्ड	<p>25—(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों को पूरा करें।</p> <p>(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इसकी अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।</p>
संकाय और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी	<p>26—संकायों के परिषदों, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय, गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किये जायें।</p>
परिनियमों को बनाने की शक्ति	<p>27—(1) कार्य परिषद इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये कुलाधिपति के अनुमोदन से परिनियम बनायेगी;</p> <p>(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ये परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात् :-</p> <p>(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों, जिनका समय-समय पर गठन किया जाय, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य;</p> <p>(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;</p> <p>(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियाँ;</p> <p>(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ नियत करना और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना;</p> <p>(ङ) किसी संयुक्त परियोजना का दायित्व ग्रहण करने के लिये किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति;</p> <p>(च) सेवानिवृत्तिक लाभों बीमा और भविष्य निधि के लिए उपबंध सहित कर्मचारियों की सेवा शर्तें, सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ;</p> <p>(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;</p> <p>(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;</p> <p>(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद को अपील करने की प्रक्रिया;</p> <p>(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;</p> <p>(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;</p> <p>(ठ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;</p>

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनका समाप्त किया जाना;

(ण) विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय जो विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनवायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति विश्वविद्यालय को अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियमों में उपबन्ध करने का निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् ऐसे किसी निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर ऐसे निदेश को लागू करने में असमर्थ रहे तो कुलाधिपति ऐसे निदेश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए कार्य परिषद् द्वारा संसूचित कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् परिनियमों को उपयुक्त रूप में बना सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है।

28-इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए, अध्यादेश कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कार्य परिषद् द्वारा बनाये जाएंगे जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :-

अध्यादेश बनाने की शक्ति

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के लिये अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) अनुदेश और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक प्रविष्टियां प्रदान करना, और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले माध्यम;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिये और विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रमार्य शुल्क;

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और परीक्षकों और अनुसीमकों के कर्तव्य भी है;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) महिला छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थाएँ यदि कोई हों और उनके लिए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शास्त्रीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ सहयोग और सहभागिता जिसके अन्तर्गत विद्वत् निकाय और संघ भी हैं, की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के सुधार के लिये आवश्यक समझी जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य;

(ड) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य निकाय शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हो।

वार्षिक रिपोर्ट

29-(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी और उस ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् कोर्ट को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जायेगा और कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

30-(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह माह से अधिक अन्तराल पर की जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखाओं की प्रति कार्य परिषद् के पर्यवेक्षणों सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र के अन्तिम हो जाने के एक माह के अन्दर कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाधिपति द्वारा किये गये पर्यवेक्षणों को कोर्ट और कार्य परिषद् के संज्ञान में लाया जायेगा और कार्य परिषद् द्वारा पुनरीक्षण किये जाने के पश्चात् पर्यवेक्षण यदि कोई हों, कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जायेंगे।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

31-(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा या काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् को निर्दिष्ट किया जायेगा जो अपने निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी के लिये अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कार्य परिषद्, के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के संबंध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय अन्तिम रूप से सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के संबंध में कोई वाद न्यायालय में संस्थित नहीं किया जायेगा।

अपील करने का अधिकार

32-(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थिति, विद्या परिषद् कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेशों का संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसके एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से विवर्जित कर दिया गया हो, लिखित रूप में अपने द्वारा ऐसे संकल्प की प्रति या ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर कुलपति को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबंधित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपात्तरित या पलट सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

33-विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ, के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित किये जाएं ऐसी पेंशन या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसी वह उचित समझे।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन

34-यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

प्राधिकरण निगमों - निकायों के गठन के बारे में विवाद

35-जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो वहाँ ऐसी समितियों अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे गठित होंगी।

समितियों का गठन

36-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुयी सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुये हैं नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था, भरा जायेगा ऐसी रिक्ति में नियुक्त या सहयोजित व्यक्ति ऐसे शेष पदावधि के लिए ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य होगा जिसके लिये वह नियुक्त या सहयोजित किया गया है।

रिक्तियों का भरा जाना

37-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

कार्यवाही की अविधिमान्यता

38-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के अधिपत्य में हों को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की रीति

39-(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

40-(1) विश्वविद्यालय कम से कम एक करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।

स्थायी विन्यास निधि

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तर्गत कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

41-(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात:-

सामान्य निधि

(क) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;

	(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;
	(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान और;
	(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।
	(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जायेगा।
विकास निधि	42-(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :-
	(क) विकास शुल्क जिसे छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;
	(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;
	(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान;
	(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और
	(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।
	(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।
निधि का अनुरक्षण	43-धारा 40, 41 और 42 के अधीन स्थापित निधियों को कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।
वित्तीय शर्तें	44-विश्वविद्यालय, राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायक अनुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिए अर्ह नहीं होगा।
शुल्क	45-विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार शुल्क लिया जायेगा।
सूचनाओं और अभिलेखों को मंगाने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ	46-(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जो राज्य सरकार द्वारा मांगी जाय।
	(2) राज्य सरकार, यदि यह समझती है कि इस अधिनियम अथवा परिनियमों अथवा अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है, तो वह विश्वविद्यालय को धारा 50 के अधीन ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझें।
विश्वविद्यालय का विघटन	47-(1) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा यदि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है।
	(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।
विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय	48-(1) धारा 47 के अधीन उसे प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा;

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके किया जा सकेगा।

49—(1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय कार्य नहीं कर रहा है, विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसी समय के भीतर, जो उचित समझे किन्तु जो दो मास से कम नहीं होगा, कारण बताये कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

राज्य सरकार
द्वारा
विश्वविद्यालय की
मान्यता वापस
लिया जाना

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथमदृष्टया कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों, उसके अधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या उसके अधीन जारी किन्हीं निदेशों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त करेगी।

(4) जहां राज्य सरकार के विचार से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में किसी जांच के प्रयोजनों के लिए कोर्ट को निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह अधिसूचना द्वारा यथास्थिति कोर्ट को निलम्बित करने का आदेश दे सकेगी और जांच पूरी होने तक के लिए, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना,

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना,

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

(6) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध हुआ है या उसमें इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है तो वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्वानुमान से अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास-निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि,

विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का व्ययन कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

राज्य सरकार को
नीति विषयक
मामलों में निदेश
देने की शक्ति
कठिनाईयां दूर
करने की शक्ति

50-राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीति विषयक निदेश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों जैसा वह आवश्यक समझे ऐसे निदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

51-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को, दिशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 1973, जहाँ तक संस्थाओं का प्रबन्ध है, के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहें वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

उद्देश्य एवं कारण

उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने का दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि आचार्य कुन्दकुन्द एजुकेशनल सोसाइटी, अलीगढ़, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश नाम से एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करके उसको निगमित किया जाय जिससे कि शिक्षा का अभिनवीकरण, पाठ्यक्रमों की समुचित संरचना, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति के लिये और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिये विद्यार्थियों और अध्यापकों को आवश्यक वातावरण और सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

तदनुसार मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राम हरि विजय त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 362/VII-V-1-1(Ka)-12/2006
Dated Lucknow, October 30, 2006

NOTIFICATION
Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Mangalayatan Vishwa Vidyalaya Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 32 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 30, 2006.

THE MANGALAYATAN UNIVERSITY UTTAR PRADESH ACT, 2006

U.P. Act No. 32 of 2006

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to establish and incorporate a Teaching University sponsored by Acharya Kundkund Educational Society, Aligarh in Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Mangalayatan University Uttar Pradesh Act, 2006. Short title

2. In this Act, unless the context otherwise requires,— Definitions

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "Board" means the Board of Studies and the Planning Board, or any other Board of the University;

(c) "Chancellor", "Vice-Chancellor" and "Pro-Vice-Chancellor" means respectively the Chancellor, the Vice-Chancellor and the Pro-Vice-Chancellor of the University;

(d) "Court" means the Court of the University;

(e) "Director/Principal" means the Head of an Institution, College, School, Polytechnic and Industrial Training Institute or the person appointed for the purpose to act as such in his absence;

(f) "Department" means a Department of Studies, and includes a Centre of Studies and Research;

(g) "Employee" means any person appointed by the University, and includes a teacher or any other member of the staff of the University;

(h) "Executive Council" means the Executive Council of the University;

(i) "Faculty" means a Faculty of the University;

(j) "Hostel" means Scholars/Students Hostel of the University;

(k) "Institution" means an Academic Institution established or maintained by the University;

(l) "Prescribed" means prescribed by Statutes;

(m) "Records and Publications" means the Records and Publications of the University;

(n) "Society" means the Acharya Kundkund Educational Society, Aligarh, registered under the Societies Registration Act, 1860;

(o) "Statutes" and "Ordinances" means respectively, the Statutes and Ordinance of the University for the time being in force;

(p) "Student" means a student enrolled in the Register of the University;

(q) "Teachers of the University" means Professors, Readers, Lecturers and such other persons as may be appointed for imparting education/instructions or conducting research in the University and are designated as Teachers by the Ordinances;

(r) "Treasurer", "Registrar", "Deputy Registrar", "Finance Officer", "Controller of Examinations", "Librarian" or "Proctor" means respectively the Treasurer, the Registrar, the Deputy Registrar, the Finance Officer, the Controller of Examinations, the Librarian or the Proctor of the University;

(s) "University" means the Mangalayatan University Uttar Pradesh established under this Act by the Society;

(t) "Visitor" means the Visitor of the University.

Establishment of
the University

3. (1) There shall be established at Aligarh in Uttar Pradesh a University by the Society in the name of the Mangalayatan University Uttar Pradesh.

(2) The University shall be a body corporate.

Conditions for the
establishment of
the University

4. The sponsoring body, the Society shall, for the purposes of establishing the University under this Act, fulfill the following conditions, namely:-

(a) duly possesses with title rights for 30 years or more, minimum 50 acres or contiguous land earmarked for the University;

(b) construct on land referred to in clause (a) buildings of at least 24000sq. meter carpet area, out of which at least 50 per cent shall be for academic and administrative purposes;

(c) install equipments in offices and laboratories worth minimum Rs. 5 crores in the building referred to in clause (b);

(d) appoint teachers and establish infrastructure of the department/schools for the purposes of teaching and/or research in at least seven subjects as per standards laid down by the University Grants Commission;

(e) make the Statutes and the Ordinances for the administration and functioning of the University;

(f) such other conditions as may be required by the State Government to be fulfilled before the establishment of the University.

5. (1) The University shall start operation only after the State Government issues to the Society a letter of authorization for the commencement of the functioning of the University.

Starting of the University

(2) The State Government shall issue the letter of authorization on receipt of an unambiguous affidavit along with documents from the Society to the effect that all conditions referred to in section 4 have been fulfilled.

6. The objects of the University shall be to disseminate and advance knowledge by providing instructional, research and extension facilities in such branches of learning as it may deem fit and the University shall endeavor to provide to students and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of:-

Objects of the University

(a) innovations in education leading to restructuring of courses, new methods of teaching and learning and integral development of personality;

(b) studies in various disciplines;

(c) inter-disciplinary studies;

(d) national integration, secularism, international understanding and ethics.

7. The University shall have the following powers, namely:-

Powers of University

(a) to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge;

(b) to impart and promote the study of science, technology, medicine, management and other professional courses and also history, culture, philosophy and distant educational programme, etc;

(c) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates to, and confer degrees or other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing on persons, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(d) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed;

(e) to provide, instructions including correspondence and such other courses, to such persons as are not members of the University, as it may determine;

(f) to institute Directorships, Principalships, Professorships, Readerships, Lecturerships and other teaching or academic posts required by the University and to make appointments for the same;

(g) to create administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;

(h) to appoint/engage persons working in any other University or Organization having specific knowledge permanently or for a specified period;

- (i) to co-operate, collaborate or associate with any other University or Authority or Institution in such manner and for such purpose as the University may determine;
- (j) to establish and maintain schools, institutions and such centres, specialized laboratories or other units for research and instructions as are in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;
- (k) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (l) to establish and maintain hostels for students of the University;
- (m) to make provisions for research and consultancy, and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;
- (n) to declare centre, an institution, a department, or school, as the case may be, in accordance with the Statutes;
- (o) to determine standards for admission into the University, which may include examination, evaluation or any other method of testing;
- (p) to demand and receive payment of fees and other charges;
- (q) to supervise the residents of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;
- (r) to make special arrangements in respect of women students as the University may consider desirable;
- (s) to regulate and enforce discipline among the employees and students of the University and take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary by the University;
- (t) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the University;
- (u) to receive donations and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable including trust and document properties or immovable for the welfare of the University;
- (v) to borrow, mortgage or hypothecate with approval of the Society, on the security of the property of the University, money for the purposes of the University;
- (w) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

8. (1) Admission to the different academic programmes shall be made in accordance with the laws for the time being in force. Admission and Standards

(2) The University shall ensure that the academic standards of the courses offered by the University are in accordance with the guidelines of the University Grants Commission.

(3) The teacher-student ratio shall be in accordance with the guidelines of the University Grants Commission.

9. The University shall be open to persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief profession in order to entitle him to be admitted therein as an officer, a teacher, staff member, student, or to hold any office therein or to graduate thereat : University open to all classes and creeds

Provided that reservation in the posts and recruitment of the employees and reservation of seats for admission in any course of study in the University for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens shall be regulated by the laws and orders of the State Government for the time being in force.

10. (1) The Visitor shall be appointed by the Society itself. The Visitor

(2) The Visitor shall have the right to visit the University or any Institution, College, School, Polytechnic or Industrial Training Institute maintained by the University to ensure the standard of education, discipline, decorum and proper functioning of the University.

(3) The Visitor shall have the right to take any action in the cases of dispute referred to him by the Chancellor.

11. The following shall be the officers of the University:- Officers of the University

- (a) the Chancellor;
- (b) the Vice-Chancellor;
- (c) the Pro-Vice-Chancellor;
- (d) Director or Head of the Institutions;
- (e) the Registrar;
- (f) the Treasurer;
- (g) the Deans;
- (h) the Dean of student's Welfare;
- (i) the Proctor;
- (j) the Finance Officer; and
- (k) such other officer as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

12. (1) The Chancellor shall be appointed by the State Government in consultation with the Society. The Chancellor

(2) The Chancellor shall hold office during the pleasure of the State Government.

(3) The Chancellor shall may by writing under his hand addressed to the State Government, resign his office.

(4) Subject to the provisions of this section, the Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office :

Provided that the Chancellor shall notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon his office.

(5) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the Head of the University and shall constitute interim Executive Council.

(6) The Chancellor shall, if present, preside at the Convocation of the University held for conferring degrees.

The Vice-Chancellor

13. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in such manner as may be prescribed, for a period of five years.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall be the Chairman of the Executive Council and the Academic Council of the University, and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall convey to such authority the action taken by him on such matters :

Provided that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not have been taken, it may refer the matter to the Visitor whose decision thereon shall be final :

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall have the right to appeal against such action to the Chancellor within one month from the date on which a decision on such action is communicated to him and thereupon the Chancellor may confirm, modify or reverse action taken by the Vice-Chancellor .

(4) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such other functions as may be prescribed.

The Pro-Vice-Chancellor

14.(1) The Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Vice-Chancellor and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(2) The Pro-Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge his duties in addition to his duties as a professor.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in discharging day to day duties as and when required by the Vice-Chancellor.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall get honorarium of such amount as may be determined by the Society.

The Registrar

15. (1) The Registrar shall be appointed in such manner as may be prescribed.

(2) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other function as may be prescribed.

(3) The Registrar shall be the *ex-officio* Secretary of the Executive Council and the Academic Council.

16. (1) The Treasurer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such function as may be prescribed. The Treasurer

(2) The Treasurer shall assist the Vice-Chancellor in all financial matters including annual budget, annual auditing, allocation of funds, etc. .

17. Every Dean shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed. Dean of Faculties

18. (1) The Finance Officer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed. Finance Officer

(2) The Finance Officer shall be the *ex-officio* Secretary of Finance Committee.

19. The manner of appointment and powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed. Other Officers

20. The following shall be the authorities of the University :-

Authorities of the University

- (a) the Court;
- (b) the Executive Council;
- (c) the Academic Council;
- (d) the Finance Committee;
- (e) the Planning Board;
- (f) the Boards of Faculties;
- (g) the Admissions Committee;
- (h) the Examinations Committee;
- (i) such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.

21. (1) The Constitution of the Court and the term of office of its members shall be such as may be prescribed. The Court

(2) Subject to the provisions of this Act the Court shall have the following powers and functions, namely:-

- (a) to review from time to time, the broad policies and programmes of the University and suggest measures for the working, improvement and development of the University.
- (b) to consider and pass resolutions on the Annual Report and the Annual Accounts of the University and Audit Report of such accounts;
- (c) to advise the Visitor in respect of any matter which may be referred to it for advice; and
- (d) to perform such other functions as may be prescribed.

22. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University. The Executive Council

(2) The Constitution of the Executive Council, the term of office of its members and its powers and duties shall be such as may be prescribed.

23. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall subject to the provisions of the Statutes and the Ordinances, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University. The Academic Council

(2). The Constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and duties shall be such as may be prescribed.

- The Finance Committee 24. (1) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of the financial matters.
(2) The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such as may be prescribed.
- The Planning Board 25. (1) The Planning Board shall be the principal planning body of the University. The Board shall ensure that the infrastructure and academic support system meets the norms of the University Grants Commission.
(2) The constitution of the Planning Board, term of office of its members and its other powers and duties shall be such as may be prescribed.
- Faculty and other authorities of the University 26. The constitution, powers and functions of the Boards of faculties the Admission Committee, the Examination Committee and of such other authorities as may be declared by the statutes to be the authorities of the University, shall be such as may be prescribed.
- Power to make Statutes 27. (1) The Executive Council with the approval of the Chancellor shall make the statutes for carrying out the purposes of this Act.
(2) Subject to the provisions of this Act the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:—
(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University, as may be constituted from time to time;
(b) the appointment and continuance in office of the members of the said authorities, filling of vacancies of members and all other matters relating to those authorities for which it may be necessary to provide;
(c) the appointment, powers and duties of the officers of the University and their emoluments;
(d) the appointment of teachers of the University and other academic and administrative staff, and their emoluments;
(e) the appointment of teachers and other academic and administrative staff working in any other University or Institution for a specific period for undertaking a joint project;
(f) the conditions of service of employees including provisions for retirement benefits, insurance and provident fund, the manner of termination of service and disciplinary actions;
(g) the principles governing seniority of service of employees;
(h) the procedure for settlement of disputes between employees or students and the University.
(i) the procedure for appeal to the Executive Council by any employee or student against the action of any officer or authority of the University; the conferment of honorary degrees;
(j) the conferment of honorary degrees;
(k) the withdrawal of degree, diploma, certificate and other academic distinctions;
(l) the institution of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
(m) the maintenance of discipline among the students;
(n) the establishment and abolition of Departments, Centres and other constituted institutions/Colleges etc;
(o) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University; and
(p) all other matters, which may be prescribed.

(3) The Executive Council shall not make, amend or repeal any Statute affecting the powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.

(4) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections the Chancellor may direct the University to make provisions in the Statutes, in respect of any matter specified by him and if the Executive Council is unable to implement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Executive Council for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes accordingly as he may deem fit.

28. Subject to the provision of this Act and the Statutes, the Ordinances shall be made by the Executive Council with the prior approval of the Chancellor which may provide for all or any of the following matters, namely:—

Power to make Ordinances

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the medium of instruction and examination;

(d) the award of degree, diploma, certificate and other academic distinctions, the qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same.

(e) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examinations, degrees, diplomas and certificates of the University;

(f) the conditions for the award of fellowships, scholarships studentships, medals and prizes;

(g) the conduct of examinations, including the term of Office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(h) the conditions of residence of the students of the University;

(i) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and prescribing of special courses of studies for them within the University;

(j) the appointment and emoluments of employees other than those for whom provision has been made in the Statutes;

(k) the establishment of Centre of Studies, Boards of Studies, Interdisciplinary Studies, Special Centres, Specialized Laboratories and other Committees;

(l) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and authorities including learned bodies or associations;

(m) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic mileser of the University;

(n) the remuneration to be paid to the examiners, moderators, invigilators and tabulators;

(o) such other terms and conditions of service of teachers and other academic staff as are not prescribed by the Statutes;

29. The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Court on or after such date as may be prescribed and the Court shall consider the report in its annual meeting.

Annual Report

(2) The court shall submit the annual report to the Chancellor along with its comments, if any.

Annual Accounts

30. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall, once at least every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by an experienced and qualified firm of Chartered Accountant of repute.

(2) A copy of the annual accounts, together with the audit report thereon, shall be submitted to the Court and the Chancellor along with the observations of the Executive Council.

(3) Any observations made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Court and the Executive Council and the observations, if any, shall after being reviewed by the Executive Council, be submitted to the Chancellor.

Condition of service of employees

31. (1) Every employee of the University shall be appointed / engaged as per provisions of the Statutes.

(2) Any dispute arising between the University and any of the employees appointed substantively, shall be referred to the Executive Council who shall decide the dispute after affording an opportunity to the employee within three months from the date of its reference.

(3) The aggrieved employee, may file an appeal against the order of the Executive Council to the Chancellor.

(4) Any dispute in respect of any employee engaged temporarily or on *ad-hoc* or part time or casual basis shall be heard and decided finally by the head of the concerned department.

(5) The decision of the Chancellor shall be final and no suit shall lie in any court in respect of the matters decided by the Chancellor.

Right to Appeal

32. (1) Any student or candidate for an examination, whose name has been removed from the rolls of the University by the orders or resolution of the Academic Council Proctorial Board or Controller of examination as the case may be and who has been debarred from appearing at the examinations of the University for more than one year, may within ten days of the date of receipt of such orders or copy of such resolution by him in writing appeal to the Vice-Chancellor who may confirm, modify or reverse the decision to the aforesaid authorities or the concerned Committee, as the case may be.

(2) Any decision taken by the Vice-Chancellor shall be final

Employees provident fund and pensions

33. The University may constitute for the benefit of its employees such pension or Provident Fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

Disputes as to the constitution of Authorities and bodies

34. If any question arises as to whether any person has been duly nominated or appointed as or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereupon shall be final.

Constitution of Committees

35. Where any authority of the University is given power under this Act or the Statutes to appoint Committees, such Committees shall save as otherwise provided, consist of the members of the authority concerned and of such other persons as the authority in each case may think fit.

Filling of the vacancies

36. All vacancies among the members (other than *ex-officio*) of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be convenient by the person or body who appointed, nominated or co-opted the members whose place has become of such authority or body for the remaining term for which he has been appointed or co-opted.

37. No act or proceedings of any authority or other body of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members. Invalidity of Proceedings
38. A copy of any receipt, application, notice, proceeding, resolution of any authority or Committee of the University or other documents in possession of the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima-facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding or resolution, documents or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein where the original would, if produced have been admissible in evidence. Mode of Proof of University records
39. (1) Every Statute or Ordinances made under this Act shall be made available in writing. Publication of Statutes, and Ordinance
- (2) Each new Statute or Ordinances made under this Act shall be enforced as soon as it is made by the competent authority.
40. (1) The University shall establish a permanent endowment fund of at least rupees one crore which may be increased by notification issued in this behalf by the State Government from time to time. Permanent Endowment fund.
- (2) The University shall have the power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be prescribed.
- (3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund.
- (4) Any amount exceeding the minimum amount specified in sub-section (1) may be withdrawn from the permanent endowment fund by the University for the purposes of development of the University.
41. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely:- General Fund
- (a) all fees which may be charged by the University;
- (b) all sums received from any other source;
- (c) all contributions made by the Society; and
- (d) all contributions made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force.
- (2) The moneys credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditures of the University.
42. (1) The University shall also establish a development fund to which following moneys shall be credited, namely; Development Fund
- (a) development fees, which may be charged from students;
- (b) all sums received from other sources for the purpose of the development of the University;
- (c) all contributions made by the Society;
- (d) all contributions made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being enforce; and
- (e) all incomes received from the permanent endowment fund.
- (2) The moneys credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.

Maintenance of Fund	43. The funds established under sections 40, 41 and 42 shall subject to general supervisions and control of the Court be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.
Financial Condition	44. The University shall not be eligible for any grant-in-aid or any financial assistance from the State Government or any other body or Corporation owned and controlled by the State Government.
Fees	45. The fees charged for different academic programmes shall be in accordance with laws for the time being in force.
Power of the State Government to call for information and records	46. (1) It shall be the duty of the University or any authority or officer of the University to furnish such informations or records relating to the administration or finances and other affairs of the University as the State Government may call for. (2) The State Government, if it is of the view that there is a violation of the provisions of the Act or the Statutes or ordinances made thereunder may issue such directions to the University under section 50 as it may deem necessary.
Dissolution of University	47. (1) If the University proposes its dissolution in accordance with the law governing its constitutions or incorporation, it shall give at least six months written notice to the State Government. (2) On receipt of notice referred to in sub-section (1) the State Government shall make such arrangement for administration of the University from the date of dissolution of the University and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses of studies in such manner as may be prescribed.
Expenditure of the University during dissolution	48. (1) The expenditure for administration of the University during the taking over the liabilities of the University under section 47 shall be met out of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund. (2) If the funds referred to sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over the liabilities of the University such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University by the State Government.
De-recognition of the University by the State Government	49. (1) Where the State Government is satisfied that the University is not functioning in accordance with the provisions of this Act on receipt of a complaint with respect to the management of the University, it shall require the University to show cause within such time, which shall not be less than two months, as to why the University should not be derecognized. (2) If, upon receipt of the reply of the University to the notice given under sub-section (1), the State Government is satisfied that a <i>prima-facie</i> case of mismanagement or violation of the provisions of this Act the rules the Statutes, the Ordinances there under is made out, it shall order such enquiry as it deems necessary. (3) For the purposes of an inquiry under sub-section (2), the State Government shall, by notification, appoint an officer or authority as the enquiring authority to enquiry into and report upon the allegations of mismanagement, violation of the provisions of this Act the Rules, the Statutes, the Ordinances or any direction issued thereunder. (4) Where the State Government considers it necessary or expedient to suspend the Court for the purposes of an inquiry with respect to the affairs of the University, it may, by notification, order the suspension of the Court as the case may be, and make such arrangement for the administration of the University as it considers necessary till the conclusion of the inquiry.

(5) Every inquiring authority appointed under sub-section (3) shall while performing its functions under this Act have all the powers of Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely :-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) requisitioning any public record or copy thereof from any office;
- (d) receiving evidence on affidavits;
- (e) any other matter which may be prescribed.

(6) If, upon receipt of the inquiry report, the State Government is satisfied that the University has been mismanaged or has violated any provision of this Act, or the Statutes, or the Ordinance made thereunder it may, by notification, de-recognize the University with the prior approval of the University Grants Commission.

(7) During the period of the management of the University under sub-section (6), the State Government may utilize the permanent endowment fund, the general fund or the development fund for the purposes of the management of the affairs of the University. If the funds of the University are not sufficient to meet the requisite expenditure of the University, the State Government may dispose of the assets or the properties of the University to meet the said expenses.

(8) Every notification under sub-section (6), shall be laid before both Houses of the State Legislature.

50. The State Government may issue such directions from time to time to the University on policy matters not inconsistent with the provisions of this Act as it may deem necessary. Such directions shall be complied with by the University.

Power of the State Government to issue directions on policy matters

51. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Uttar Pradesh State University Act, 1973 to the provisions of this Act, direct that the provisions of this Act shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem necessary or expedient :

Power to remove difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

(3) No order made under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in that sub-section existed or was required to be removed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to encouraging private sector to participate in the field of higher education, it has been decided to establish and incorporate a teaching University by the name of the Mangalayatan University Uttar Pradesh at Aligarh in Uttar Pradesh sponsored by Acharya Kundkund Educational Society, Aligarh which is a society registered under the Societies Registration Act, 1860 so as to provide to the students and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of innovations leading to proper structuring of courses, new method of teaching and learning and integral development of personality.

The Mangalayatan University Uttar Pradesh Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,
RAM HARI VIJAI TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-3015 राजपत्र-(हिन्दी)-2006-(6320)-597-(कम्प्यूटर/आफसेट) ।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-176 सा० विधायी-2006-(6321)-850-(कम्प्यूटर/आफसेट) ।